

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम-रूपनगढ़, जिला-अजमेर

कालूराम बनाम भंवरलाल

किस्म मुकदमा- धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधि0

नम्बर- 39 वर्ष:-2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
15.07.2024	<p>यह वाद पत्र वादीगण की ओर से वकील श्री दशरथ वैष्णव ने अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया। वाद-पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक...5-9-2024...को पेश हो।</p>	
5-9-24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण ने उपस्थित होकर जाहिर किया कि अत्र प्रकरण में अभी कोई कार्यवाही नहीं पाई है। इसलिए प्रकरण में नोट-प्रेस जाहिर किया। अत्र प्रकरण नोट-प्रेस होने से खारिज किया जाता है।</p> <p>पत्रावली फैसल शुभार होकर नम्बर ले का है।</p>	<p>इस इच्छा प्रकार के इच्छा कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं पाई है।</p> <p>Not Pesh Sir 10/07/24 पत्रावली के तामील में जारी हुए</p>

उपखण्ड अधिकारी  
रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी  
रूपनगढ़ (अजमेर)

